न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

सुरेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 131,136 LR मु.नं. 525 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
19-11-25	प्रार्थी सुरेंद्र सिंह पुत्र खुमाण सिंह जाति जाट निवासी ग्राम परडोली छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा आवेदन विषयक ग्राम परडोली छोटी के खसरा सं. 621/13 की किस्म दुरूस्ती करने बाबत के अनुसार "वाके ग्राम परडोली छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित आराजी खसरा सं. 621/13 रकबा 0.1000 हेक्टेयर भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि खसरा सं. 13 का आपसी सहमति से बंटवारा करवाया गया, उक्त बटवारे में खसरा सं. 11 एवं 622/13 में आने–जाने का रास्ता खसरा सं. 621/13 छोड़ा गया है, परन्तु उक्त खसरा सं. 621/13 की किस्म बारानी–2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा सम्पूर्ण रास्ते के प्रयोजनार्थ काम में आ रहा है। हमारे द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा भविष्य में भी उक्त भूमि वर्तमान में रास्ते के उपयोग में ली जावेगी, परन्तु उक्त भूमि की किस्म बारानी–2 की जगह राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दुरूस्त की जावें।" उक्त आवेदन के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./25/3816 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका अवलोकन किया गया। जो कि मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अ.धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ. /25/3816 दिनांक 11.11.2025 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम परडोली छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित आराजी खसरा सं. 621/13 रकबा 0.1000 हेक्टेयर की किस्म बारानी–2 के स्थान पर किस्म गै.मु. रास्ता दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./25/3816 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। आदेश सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को भिजवाया जावें, अमल दरामद होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। Signature Not Verified Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra Date: 2025.11.19 12:55:11 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद * जिला–सीकर (राज.) *

Scanned with OKEN Scanner